



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092026-275995
CG-DL-E-05092026-275995

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4685]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 2026/भाद्र 12, 1948

No. 4685]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2026/BHADRA 12, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2026

का.आ. 4872(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के "महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 63 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 548-सी पर कुसळंब से शुरू होने वाले कुसळंब - पांगरी - येडशी - मुरुड - लातूर इस मार्ग को दोनों तरफ पक्के कंधे सहित चार लेन वाली सड़क में पुनर्वास और उन्नयन करने के लिए (पैकेज-II : कुसळंब कि.मी. 0/600 से येडशी कि.मी. 20/470)"आवश्यक भूमि अधिग्रहण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी, सोलापुर क्र.1 सोलापुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 63 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 548-सी पर कुसळंब से शुरू होने वाले कुसळंब – पांगरी – येडशी – मुरुड – लातूर इस मार्ग को दोनों तरफ पक्के कंधे सहित चार लेन वाली सड़क में पुनर्वास और उन्नयन करने के लिए (पैकेज-II : कुसळंब कि.मी. 0/600 से येडशी कि.मी. 20/470) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सोलापूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बारशी					
गांव का नाम: पुरी					
1	210	निजी	कृषि	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
2	211	निजी	कृषि	0.139 (हेक्टेयर)	0.139
3	218	निजी	कृषि	0.1725 (हेक्टेयर)	0.1725
4	294	निजी	कृषि	0.065 (हेक्टेयर)	0.065
कुल योग					0.3845

[फा. सं. RW/NH-12014/127/2024-MAH/Zone-IV/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2026

S.O. 4872(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Land acquisition for Rehabilitation and Upgradation for the 4 lane with paved shoulder configuration for NH-63 starting from NH-548-C near Kuslamb – Pangari – Yedshi – Murud – Latur (PKG – II Kuslamb from km 000/600 to Yedshi 20/470) in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer, Solapur No.1, Solapur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the Land acquisition for Rehabilitation and Upgradation for the 4 lane with paved shoulder configuration for NH-63 starting from NH-548-C near Kuslamb – Pangari – Yedshi – Murud – Latur (PKG – II Kuslamb from km 000/600 to Yedshi 20/470) in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: SOLAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Barshi					
Village: Puri					
1	210	Private	Agriculture	0.008 (Hectare)	0.008
2	211	Private	Agriculture	0.139 (Hectare)	0.139
3	218	Private	Agriculture	0.1725 (Hectare)	0.1725
4	294	Private	Agriculture	0.065 (Hectare)	0.065
Total					0.3845

[F. No. RW/NH-12014/127/2024-MAH/Zone-IV/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director